(1)

क्रं-7842/T.L./20
दि. 22-7-2020

कार्यालय कलेक्टर जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

टी0एल0 समीक्षा बैठक दिनांक 20/07/2020 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 20 जुलाई 2020 को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में एवं समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की वीडियों कान्फ्रेन्स के माध्यम से आयोजित समय–सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में निम्नानुसार निर्देश पालन की कार्यवाही हेतु दिये गये :–

1– सर्वप्रथम गेहूँ उपार्जन केन्द्र एवं भुगतान संबंधी समीक्षा की गई ।

अ– वर्ष 2020–21 में उपार्जन केन्द्रों से परिवहनकर्ता के ट्रकों में लोडिंग किया गया गेहूँ की हिम्माली समितियों के द्वारा दी गई है जिसकी राशि समितियों के खातें में परिवहनकर्ता से प्राप्त होना है, शीघ्र कार्य कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही जो माल खराब हुआ है एवं शेष बचा हुआ है उसकी जानकारी शीघ्र भिजवाने हेतु समस्त समिति प्रबंधकों को निर्देशित किया जावें ।

ब– डिजिटल हस्ताक्षर के लिए लंबित ई–भुगतान आदेश की लंबित राशि की कार्यवाही पूर्ण की जावें । साथ ही असफल भुगतान की राशि का कार्य भी पूर्ण कर लिया जावें ।

(कार्यवाही–महाप्रबंधक, केन्द्रीय सह0मर्या0 बैंक, उपायुक्त सहकारिता, नॉन, उप संचालक कृषि)

2– आधार सीडिंग की समीक्षा दौरान जिले में आधार सीडिंग की कार्य गति धीमी होने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए आधार सीडिंग का कार्य तीव्र गति से करने हेतु समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया ।

समीक्षा दौरान पाया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सारंगपुर, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़ एवं ब्यावरा द्वारा आधार सीडिंग में बहुत धीमी गति से कार्य किया जा रहा है, तीव्र गति से आधार सीडिंग का कार्य कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये ।

समस्त नगरपालिकाओं में मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा आधार सीडिंग का कार्य न करने एवं अत्यन्त धीमी गति होने के कारण एवं समस्त नगरपालिकाओं में कार्य की मानिटरिंग न किये जाने जिला परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण को अप्रसन्नता पत्र जारी किया जावें । साथ ही परियोजना अधिकारी समस्त नगरपालिकाओं के आधार सीडिंग का कार्य कराते हुए प्रतिदिन मानिटरिंग करें ।

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रतिदिन लक्ष्यानुसार 31 जुलाई के पूर्व आधार सीडिंग का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही–समस्त सीईओ, जनपद पंचायत, समस्त सी0एम0ओ0 प्रभारी अधि0 स्थापना)

3– पुराने वनाधिकार पट्टों के पुर्नःपरीक्षण की कार्यवाही पर समीक्षा दौरान समस्त अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व)/ समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देशित किया गया कि एफ0आर0सी0 द्वारा अनुसंशित प्रकरणों को अपने स्तर पर बैटक आयोजित कर स्वीकृत करते हुए जिला स्तरीय समिति को भेजना सुनिश्चित करें साथ ही वनाधिकार पट्टों का सूक्ष्मता से परीक्षण करें, विश्लेषण पश्चात् ही पात्र एवं अपात्र किये जावें ।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, एस0टी0 के दावों का स्वयं परीक्षण कर जिला स्तरीय समिति को शीघ्र भेजे साथ ही समस्त अनुविभागीय अधिकारी वनाधिकारी पट्टों के प्रकरणों में प्रमुखता से कार्य करते हुए निराकरण करें ।

(कार्यवाही–डी0ओ0 आ0जाति0क0 एवं समस्त एसडीएम/समस्त ज0पं0)

4– पी0एम0 स्वनिधि स्ट्रीट वेन्डर्स के प्रकरणों की समीक्षा की गई । जिला परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि पी0एम0 स्वनिधि स्ट्रीट वेन्डर्स के 7137 लक्ष्य होने, 674 प्रकरण ऑनलाईन बैंकों में प्रेषित् किये गये है तथा 202 प्रकरण ऑनलाईन स्वीकृत किये गये है ।

बैंकों में प्रेषित प्रकरणों को बैंक शाखा द्वारा निराकृत नहीं जा रहे है । इस संबंध में प्रभारी जिला प्रबंधक, अग्रणी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त के संबंध में बैंक शाखाओं में कोई गाईड लाईन नहीं है जिससे उक्त प्रकरणों को निराकृत नहीं किया जा सके । जिला प्रबंधक, अग्रणी को इस संबंध में पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा परियोजना अधिकारी पी0एम0 स्वनिधि स्ट्रीट वेन्डर्स की प्रगति की जानकारी से प्रतिदिन अवगत करावें ।

(कार्यवाही–पी0ओ0 डूडा एवं एलडीएम)

5– उप संचालक, पशु चिकित्सा द्वारा समीक्षा दौरान अवगत कराया गया कि दुग्ध संघ द्वारा वर्तमान में 119 केसीसी कार्ड बनाये गये है । अधिक से अधिक केसीसी कार्ड बनाये जाने हेतु प्रबंधक दुग्ध संघ को निर्देशित किया गया ।

(कार्यवाही– उप संचालक, पशु चिकित्सा एवं प्रबंधक दुग्ध संघ)

6– पेशी से उतरे प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई । समस्त राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अपने स्तर पर कोई भी प्रकरण पेशी से न उतरे । पेशी से उतरे प्रकरण पुनः पेशी पर लिये जावें ।

समीक्षा दौरान पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर के 58, तहसीलदार राजगढ़ के 244, तहसीलदार जीरापुर के 98, तहसीलदार पचोर के 41, नायब तहसीलदार राजगढ़ के 44, नायब तहसीलदार सुठालिया के 95, नायब तहसीलदार छापीहेड़ा के 160, नायब तहसीलदार संडावता के 65 एव नायब तहसीलदार पचोर के 147 प्रकरण पेशी से उतरे हुए है । सभी राजस्व अधिकारी को उक्त प्रकरण शीघ्र पेशी पर लिये जाने निर्देशित किया गया ।

(कार्यवाही– समस्त राजस्व अधिकारी)

7– पी0ओ0 लॉगिन एवं रीडर लॉगिन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा दौरान समस्त राजस्व अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का तत्पराता से निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

समीक्षा दौरान पाया गया कि रीडर लॉगिन पर अनुविभागीय अधिकारी ब्यावरा के 79, अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर के 107, तहसीलदार खिलचीपुर के 64, तहसीलदार जीरापुर के 424, नायब तहसीलदार सुठालिया के 187, नायब तहसीलदार माचलपुरा के 113, नायब तहसीलदार संडावता के 66 प्रकरण लंबित है, जिनका शीघ्र निराकरण किये जावें ।

पी0ओ0 लॉगिन पर तहसीलदार राजगढ़ के 65, तहसीलदार खिलचीपुर के 120, तहसीलदार जीरापुर के 81, तहसीलदार खुजनेर 117, तहसीलदार सुठालिया के 108 नायब तहसीलदार माचलपुर के 67, नायब तहसीलदार मलावर के 52, नायब तहसीलदार सारंगपुर के 67 एव नायब तहसीलदार संडावता के 85 प्रकरण लंबित है । उक्त प्रकरणों को गंभीरतापूर्वक शीघ्र निराकृत किये जावे ।

(कार्यवाही–समस्त राजस्व अधिकारी)

8– जिले के समस्त ग्राम पंचायत भवनों में सुधार की समीक्षा की गई । जनपद पंचायत खिलचीपुर, जीरापुर एवं सारंगपुर के पंचायत भवनों में पुताई का कार्य पूर्ण कराया जावें । भवन में मुख्य कक्ष को मीटिंग हॉल के रूप में आवश्यक फर्नीचर के साथ सुसज्जित किये जाने एवं पंचायत भवन में विश्राम कक्ष की व्यवस्था संबंधी कार्य भी शीघ्र पूर्ण करा लिया जावें ।

(कार्यवाही–समस्त सी0ई0ओ0 जनपद पंचायत)

9– समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि माननीय सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के प्रकरणों के जवाबदावा समय सीमा में प्रस्तुत किये जावें । सभी ओ0आई0सी0 सुनिश्चित करे कि माननीय उच्च न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत करने के पूर्व उक्त प्रकरण का अवलोकन एवं अनुमोदन कराया जावे ताकि अवमानना की स्थिति निर्मित न हो ।

(कार्यवाही–समस्त अधिकारी)

10– प्रबंधक ई–गर्वनेंस को निर्देशित किया जाता है कि जिले में पदस्थ समस्त शासकीय सेवकों की तैयार की गई टेलीफोन से डायरेक्ट्री मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को अवगत करावें।

(कार्यवाही–प्रबंधक ई–गर्वनेंस)

11– समय–सीमा (टी0एल0) में लंबित पत्रों की समीक्षाः–

टी0एल0 पत्रों/प्रकरणों की समीक्षा की गई । अधिकतर विभागों के प्रकरण लंबित होने के कारण आगामी टी0एल0 बैठक के पूर्व प्राप्त पत्रों/प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

वर्तमान में संयुक्त कलेक्टर स्तर पर 17, स्वास्थ्य विभाग स्तर पर 12, महाप्रबंधक केन्द्रीय सहकारी बैंक की 08, उप संचालक पशु चिकित्सा की 04, जिला परिवहन अधिकारी की 04, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर की 20, अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर 08, तहसीलदार खिलचीपुर 09, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन मोहनपुरा 08 शिकायतें लंबित है जिनका शीघ्र निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

(कार्यवाही–समस्त अधिकारी)

12– सी0एम0 मॉनिट के लंबित पत्रो/प्रकरणों की समीक्षाः–

सी0एम0 मॉनिट के लंबित पत्रों की समीक्षा की गई । वर्तमान में कुल 16 प्रकरण सी0एम0 मॉनिट में लंबित है जिसमें से जिला पंचायत स्तर पर 02,, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के 02 प्रकरण, महाप्रबंधक जिला उद्योग के 02 एवं अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर स्तर पर 02 प्रकरण लंबित है, लंबित प्रकरणों का शीघ्रताशीघ्र निराकृत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये साथ ही समस्त अधिकारी आगामी टी0एल0 बैठक के पूर्व सी0एम0 मॉनिट के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही–समस्त अधिकारी)

13– जनसुनवाई के लंबित पत्रो/प्रकरणों की समीक्षाः–

जनसुनवाई प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई । जिसमें तहसीलदार राजगढ़ 44, अनुविभागीय अधिकारी ब्यावरा 26, तहसीलदार खिलचीपुर 19 जनपद पंचायत खिलचीपुर 21, जनपद पंचायत ब्यावरा 41, नगरपालिका ब्यावरा 12, कार्यपालन

क्र.7842/T.L./2020
दि.22-7-2020

(3)

यंत्री, जल संसाधन, मोहनपुरा 55, तहसीलदार सुठालिया 13, तहसीलदार छापीहेड़ा 21, नायब तहसीलदार भोजपुर 15, नायब तहसीलदार कालीपीठ स्तर पर 22 जनसुनवाई के प्रकरण लंबित है ।

जनसुनवाई के बहुत अधिक लंबित प्रकरणों के कारण अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए आगामी टी0एल0 बैठक के उक्त प्रकरणों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही–समस्त अधिकारी)

14–सी0एम0हेल्पलाईन प्रकरणों की समीक्षा:–

सी0एम0 हेल्पलाईन अन्तर्गत विभागवार प्रकरणों की समीक्षा की गई तथा समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि एल–4 स्तर के लंबित प्रकरणों का आगामी टी0एल0 बैठक के प्रकरणों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें ।

समीक्षा दौरान पाया गया कि फसल बीमा कृषि कल्याण की 287 शिकायतें वर्तमान में लंबित है जिस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उपसंचालक कृषि एवं प्रबंधक, लीड बैंक को उक्त शिकायतों का शीघ्र निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही उपसंचालक, कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2017 सोयाबीन फसल का बीमा दावा राशि के भुगतान नहीं होने पर शाखा प्रबंधक को पत्र भी प्रेषित कर निराकरण किये जाने हेतु लेख किया गया था जिसका निराकरण बैंक द्वारा नहीं किया गया । उक्त प्रकरण पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला प्रबंधक, अग्रणी को कारण बताओं सूचना पत्र प्रेषित किया जावें ।

सी0एम0 हेल्पलाईन के लंबित प्रकरणों में खाद्य आपूर्ति विभाग की 121, राजस्व विभाग की 182, राज्य शिक्षा केन्द्र 100, संस्थागत वित्त 118, कृषि विकास विभाग 156, मनरेगा स्तर पर 127 प्रकरण लेवल–4 पर लंबित है । अतः समस्त अधिकारी सी0एम0 हेल्पलाईन प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करें ।

(कार्यवाही–समस्त अधिकारी एवं प्रभारी अधि0 स्था0 शाखा)

15– समय–सीमा (टी0एल0) पत्रो/प्रकरणों की समीक्षा:–

1– सर्वे नं. 768/5/9/1 रकबा 0.287 हे. ग्राम कुरावर की भूमि को अवैधानिक तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा सील गई भूमि को आवेदिका को कब्जा दिलाये जाने संबंध पत्र पर कार्यवाही करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ को निर्देशित किया गया ।

(कार्यवाही–एस0डी0एम0 नरसिंहगढ़.)

2– ग्रामवासी काशीखेड़ी द्वारा छापी नदी पर बन रहे पुल के निर्माण मे हो रही देरी के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है उक्त पत्र पर कार्यवाही कर अवगत कराने हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही– ई0ई0 पी.डब्ल्यू.डी. एवं ई.ई. सेतु निगम उज्जैन)

3– आवेदक अरविन्द कुमार, भारतीय सैनिक द्वारा अतिक्रमण हटवाने के संबंध में प्राप्त पत्र पर तहसीलदार सारंगपुर को कार्यवाही कर प्रतिवेदन से अवगत कराने हेतु निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही–तहसीलदार सारंगपुर)

4– ग्रामवासी पांजरी द्वारा शासकीय चरनोई भूमि पर कब्जा करके गांव वालों के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज करवाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है । उक्त प्रकरण की जॉच करने एसडीएम नरसिंहगढ़ एवं तहसीलदार नरसिंहगढ़ को निर्देशित किया गया ।

(कार्यवाही–एसडीएम एवं तहसीलदार नरसिंहगढ़)

5– आवेदक मांगीलाल द्वारा पी0एम0 सम्मान निधि की राशि दूसरे खाते में जाने संबंधी शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया । तहसीदार राजगढ़ उक्त प्रकरण की जॉच करे तथा निराकरण कर उक्त स्थिति से आवेदक को सूचित करें ।

(कार्यवाही– तहसीलदार राजगढ़)

6– ग्राम गंगापाठ तहसील राजगढ़ को आवेदकों द्वारा राशन नहीं मिलने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया । जिला आपूर्ति अधिकारी ग्राम गंगापाठ की सोसायटी सेल्समेन से चर्चा कर उक्त प्रकरण का निराकरण करें ।

(कार्यवाही– डीएसओ, राजगढ़)

7– मेसर्स, धीरपसिंह पंवार, ठेकेदार विरूद्ध आर0आर0सी0 जारी करने हेतु तहसीलदार खिलचीपुर को पत्र से अवगत कराया गया था जिसका निराकरण नहीं किया गया । अतः तहसीलदार खिलचीपुर उक्त प्रकरण का शीघ्र निराकरण कर अवगत करावें ।

(कार्यवाही– तहसीलदार खिलचीपुर)

8– आवेदक ओम प्रकाश नागर द्वारा आयुष चिकित्सक भर्ती में अनियमितता करने संबंधी शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया है । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उक्त पत्र की जॉच कर जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

(कार्यवाही–सीएमएचओ राजगढ़)

(4)

क्रं. 7842/T-L/2020
दि. 22-7-2020

16–अंतर्विभागीय समन्वय के बिन्दु:–

1– जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा के प्राप्त पत्र से अवगत कराया गया जिसमें ग्रामों में मनरेगा के माध्यम से शालाओं के मैदानों का समतलीकरण, एप्रोचरोड़, वृक्षारोपण, बाउण्ड्रीवाल एवं फैंसिंग का कार्य कराया जाना है जिसकी सूची जिला पंचायत कार्यालय में प्रेषित कर दी गई है । अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूची अनुसार उक्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही–सीईओ जिला पंचायत एवं डीईओ राजगढ़)

2– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सारंगपुर में स्वास्थ्य केन्द्र हेतु जमीन आवंटन के संबंध में जानकारी से अवगत कराया गया । इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगपुर एवं तहसीलदार सारंगपुर को जमीन आवंटन की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही–तहसीलदार सारंगपुर)

3– कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा विघटित/जर्जर हुए शासकीय भवनो को खाली कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया । इस हेतु समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को ऐसे भवनों को चिन्हित कर खाली कराये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही–ई0ई0 पी0डब्ल्यू0डी0 एवं समस्त एस0डी0एम0)

4– दिव्यांग पेंशन हितग्राहियों का सत्यापन स्पर्श पोर्टल पर कराया जाना है । अतः समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिव्यांग पेंशन हितग्राहियों का सत्यापन 15 जुलाई 2020 तक स्पर्श पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करे ताकि निश्चित समय सीमा में पात्र हितग्राहियों का सत्यापन हो सके ।

(कार्यवाही–समस्त सी.ई.ओ. जनपद पंचायत एवं समस्त सी0एम0ओ0)

5– सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय, दिव्यांगजनों के यू.डी.आई.डी. कार्ड बनाये जाने संबंधी पत्र कार्यवाही कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।

(कार्यवाही–सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय)

6– महाप्रबंधक, जल निगम पीआईयू राजगढ़ द्वारा समूह जल प्रदाय योजनान्तर्गत भूमि आवंटन के प्रकरणों के संबंध में अवगत कराया गया । भूमि आंबटन हेतु अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार स्तर पर वर्तमान में बहुत प्रकरण लंबित है, जिनका आगामी एक सप्ताह में निराकरण कर इस कार्यालय को विधिवत प्रकरण भिजवाना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही–समस्त एस0डी0एम0 एवं समस्त तहसीलदार)

अंत में धन्यवाद उपरान्त बैठक समापन की गई ।

कलेक्टर
जिला राजगढ़, म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

क्रमांक 7842/टीएल/20 राजगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2020
22-7-2020

प्रतिलिपि:

1– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला राजगढ़।
2– अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़।
3– संयुक्त कलेक्टर, जिला राजगढ़।
4– डिप्टी कलेक्टर, ... जिला राजगढ़।
5– सर्व जिलाधिकारी............जिला राजगढ़
6– समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)............ जिला राजगढ़।
7– समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत............जिला राजगढ।
8– समस्त तहसीलदार............जिला राजगढ।
9– समस्त नगरपालिका............जिला राजगढ।
10– अधीक्षक, कलेक्टर कार्यालय, जिला राजगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं दिए गए निर्देशों का पालन कर पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें ।

कलेक्टर
जिला राजगढ़, म.प्र.